

**DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
ROHINI SPORTS COMPLEX
ROHINI SECTOR-14, NEW DELHI-110085**

NOTICE INVITING QUOTATION NO. 2/RSC/DDA/21-22

Sealed item rate quotations are invited on behalf of Chairman, Delhi Development Authority by Resident Engineer (Civil)/RSC, DDA. The quotation should reach the office of the Secretary, Rohini Sports Complex DDA on or before 24/09/2021 upto 3:00 P.M. and will be opened on the same day at 3:30 P.M in the presence of intending quotationers. Only Government Approved Valuer Agencies /Firms/Persons having undertaken three similar works during the last seven years in Govt. Deptt./Public Sector Undertakings are entitled to apply. A proof in this regard is necessary to be enclosed with quotation otherwise the same shall be rejected.

Estimated Cost: Rs.35,000/-

Name of Work: Maintenance of Rohini Sports Complex, DDA

SH: Valuation of unserviceable Gym equipments, Electrical & Horticulture Items and Scrap Material at RSC.

Sl. No.	Description	Qty.	Unit	Rate (both in fig. & words)	Amount
1.	Evaluation of minimum reserve price of unserviceable old gym equipments, Electrical & Horticulture Items and scrap materials present at Rohini Sports Complex by Govt. /DDA approved evaluator. The value of goods to be put up after site visit and proper inspection of all items and all work complete as per the directions of Secretary/RSC.	1 Job	Job		

TERMS & CONDITIONS:-

1. The work shall be carried out as per specification of work order/ CPWD specifications amended upto date & to the entire satisfaction of Secretary/RSC & RE(C)/RSC.
2. Quoted rate should be inclusive of all taxes / levies including GST, payable under respective states, DDA will not entertain any claim, whatsoever in this regard.
3. The payment will be made after entire satisfaction of Secretary/RSC, DDA.
4. No T & P will be issued by Department.
5. The Agency should be registered with the GST Department & supposed to furnish a copy of GST Registration along with the quotation otherwise the quotation may not be considered and liable to be rejected.

6. The agency will be submitted experience proofs of three similar works during the last seven years in Govt. Deptt./Public Sector Undertakings along with quotation otherwise the same shall be rejected.
7. The quotationers should submit annual turnover certified with valid UDIN for last three consecutive years along with quotation.
8. No advance payment will be made to the agency.
9. Commissioner (Sports) reserves the right to accept or reject any bid / quotation without assigning any reason.
10. Commissioner (Sports) reserves the right to debar the concerned agency if the work is not completed in stipulated time.
11. Conditional quotation will not be accepted.
12. Necessary statutory deductions as applicable will be made.
13. No minor shall be engaged at site.
14. Nothing extra will be paid to the agency by the department.
15. The agency shall remove all surplus material/garbage etc. after completion of work.
16. Validity of Quotation is 30 days from the date of opening.
17. Agency has to make his own arrangement of water and electricity.
18. Debarred agency / or individual shall not be permitted to participate in the tendering process. Agency should be reputed and does not have any tarnished reputation.
19. Any individual who has been debarred is not permitted to take part in any negotiations or represent an agency even if he holds a power of attorney on the agencies behalf. Any agency engaging debarred persons is also liable to debarring.
20. Any quotation received through post/ courier/ email etc. shall be summarily rejected.
21. The experience of agencies should be taken into account rather than individuals incorporated with the agency, which does not include proprietorship.
22. Time allowed is 15 (Fifteen) days for the completion of work failing which the recovery shall be made from the concerned agency if EOT is not granted.
23. Quotationers should inspect the site of execution of work before tendering to have knowledge of site conditions. Agency has to make his own arrangement to clear the site and then rearrange the same as desired by the secretary/RSC and Engineer-in charge.
24. The quantities of items in schedule are tentative which may change depending upon site conditions.
25. Any injury/ accident takes place during work, DDA shall not be responsible; any claim shall be rejected at first stage only the agency shall be responsible.
26. If there are two or more agencies quoting the same rate preference would be given to the agency which is already serving subject to its satisfactory performance. If even then there is a tie between two or more such agencies than the work would be awarded to the agency which has the highest gross annual turnover for the last three consecutive financial years.
27. If the entire work is not done within the stipulated time mentioned in work order, it will be sole discretion of the Secretary/RSC to accept the work of item on such terms as the Secretary deemed fit and proper or to cancel the work order/to stop any payment against the work / to forfeit the earnest money or to debar the concerned agency. The decision of the Competent Authority in this behalf shall be final and not to be called in question before any Forum.

28. The contractor will be fully responsible during execution of work. If any loss/ theft/ damage caused at site/ surrounding, the same shall be made good with in quoted rates or recovered from the agency/ shall be made good at agency's risk and cost.
29. That for all intents and purposes the unskilled labour and suchlike personnel provided by the agency shall be the employees of the agency. The agency shall be responsible to provide all admissible and/or fringe benefits to such personnel in the same manner as the agency does to its other employees. The Delhi Development Authority shall not be responsible in any respect whatsoever for payment of any claims of the personnel provided by the agency.
30. Based on real time feedback of members and administrative staff of DDA as and when a deficiency of service is noticed the same will be intimated to the agency/ contractor for rectification. In case there is no improvement/ rectification within prescribed period from the time of intimation proportionate deduction, as approved by the Competent Authority, shall be made from the agency/ contractor.

-sd-

R.E.(Civil)/RSC

No. SP/RSC/0090/2021/F1/-RSC/361

Dt.:-17/09/2021

Copy to:-

1. Commissioner (Sports), DDA.
2. Director (System)/DDA through E-Mail. ddatender@dda.org.in.
3. A.O. (Sports), DDA.
4. All Secretaries of the DDA Sports Complexes.
5. DDA Contractor association E-18 Vikas kuteer, New Delhi.
6. DDA Contractor Welfare Association, Room no.12, Barrack no.1, Block-A,Vikas Kuteer, New Delhi.
7. Delhi Contractor Welfare Association (C), 306, Masjid Moth, NDSE, Part-II, New Delhi.
8. AAO/RSC.
9. Notice Board.

-sd-

R.E.(Civil)/RSC

दिल्ली विकास प्राधिकरण
रोहिणी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स
रोहिणी सेक्टर-14, नई दिल्ली-110085

नोटिस आमंत्रण कोटेशन नं. 2/आरएससी/डीडीए/21-22

रेजिडेंट इंजीनियर (सिविल)/आरएससी, डीडीए द्वारा अध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से मोहरबंद मद दर कोटेशन आमंत्रित किए जाते हैं। कोटेशन सचिव, रोहिणी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डीडीए के कार्यालय में 24/09/2021 को या उससे पहले अपराह्न 3:00 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। और इच्छुक कोटेशनरों की उपस्थिति में उसी दिन अपराह्न 3:30 बजे खोला जाएगा। केवल सरकार द्वारा अनुमोदित मूल्यांकनकर्ता एजेंसियां/फर्म/व्यक्ति जिन्होंने पिछले सात वर्षों के दौरान सरकार में तीन समान कार्य किए हैं। विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आवेदन करने के पात्र हैं। इस संबंध में एक प्रमाण को कोटेशन के साथ संलग्न करना आवश्यक है अन्यथा इसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

अनुमानित लागत: रु.35,000/-

कार्य का नाम: रोहिणी खेल परिसर का रखरखाव, डीडीए

उपशीर्ष: आरएससी में अनुपयोगी जिम उपकरणों, विद्युत और बागवानी वस्तुओं और स्क्रेप सामग्री का मूल्यांकन।

क्रमांक सं.	विवरण	मात्रा	यूनिट	दर (आकृति और शब्दों दोनों में)	राशि
1.	सरकार द्वारा रोहिणी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद अनुपयोगी पुराने जिम उपकरणों, इलेक्ट्रिकल और बागवानी वस्तुओं और स्क्रेप सामग्री के न्यूनतम आरक्षित मूल्य का मूल्यांकन। /डीडीए अनुमोदित मूल्यांकनकर्ता। साइट का दौरा करने के बाद रखे जाने वाले माल का मूल्य और सचिव/आरएससी के निर्देशानुसार सभी मदों और सभी कार्यों का उचित निरीक्षण।	1 Job	Job		

नियम एवं शर्तें:-

- कार्य आदेश के विनिर्देश/सीपीडब्ल्यूडी विनिर्देशों के अनुसार अद्यतन और सचिव/आरएससी और आरई (सिविल)/आरएससी की संपूर्ण संतुष्टि के अनुसार कार्य किया जाएगा।
- कोट की गई दर में संबंधित राज्यों के तहत देय जीएसटी सहित सभी कर/लेवी शामिल होने चाहिए, इस संबंध में डीडीए किसी भी दावे पर विचार नहीं करेगा।
- भुगतान सचिव/आरएससी, डीडीए की पूर्ण संतुष्टि के बाद किया जाएगा।
- विभाग द्वारा कोई टी एंड पी जारी नहीं किया जाएगा।
- एजेंसी को जीएसटी विभाग के साथ पंजीकृत होना चाहिए और कोटेशन के साथ जीएसटी पंजीकरण की एक प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए अन्यथा कोटेशन पर विचार नहीं किया जा सकता है और इसे अस्वीकार कर दिया जा सकता है।
- एजेंसी को पिछले सात वर्षों के दौरान तीन समान कार्यों के अनुभव प्रमाण सरकार में प्रस्तुत किए जाएंगे। विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कोटेशन सहित अन्यथा इसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- कोटेशनर्स को कोटेशन के साथ पिछले तीन लगातार वर्षों के लिए वैध यूडीआईएन के साथ प्रमाणित वार्षिक टर्नओवर जमा करना चाहिए।
- एजेंसी को कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।
- आयुक्त (खेल) के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली / कोटेशन को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।
- निर्धारित समय में काम पूरा नहीं होने पर आयुक्त (खेल) के पास संबंधित एजेंसी को डिबार करने का अधिकार सुरक्षित है।
- सशर्त कोटेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- लागू होने पर आवश्यक वैधानिक कटौती की जाएगी।
- किसी अवयस्क को स्थल पर नहीं लगाया जाएगा।
- विभाग द्वारा एजेंसी को कुछ भी अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।
- एजेंसी काम पूरा होने के बाद सभी अधिशेष सामग्री/कचरा आदि को हटा देगी।

16. कोटेशन की वैधता खोलने की तारीख से 30 दिन है।
17. एजेंसी को पानी और बिजली की अपनी व्यवस्था खुद करनी होगी।
18. विवर्जित एजेंसी/या व्यक्ति को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एजेंसी प्रतिष्ठित होनी चाहिए और उसकी कोई बदनामी नहीं होनी चाहिए।
19. किसी भी व्यक्ति को किसी भी वार्ता में भाग लेने या किसी एजेंसी का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति नहीं है, भले ही उसके पास एजेंसियों की ओर से पावर ऑफ अटॉर्नी हो। वर्जित व्यक्तियों को शामिल करने वाली कोई भी एजेंसी भी डिबार्गिंग के लिए उत्तरदायी है।
20. डाक/कूरियर/ईमेल आदि के माध्यम से प्राप्त किसी भी कोटेशन को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
21. एजेंसी में शामिल व्यक्तियों के बजाय एजेंसियों के अनुभव को ध्यान में रखा जाना चाहिए, जिसमें स्वामित्व शामिल नहीं है।
22. कार्य पूरा करने के लिए 15 (पंद्रह) दिनों की अनुमति दी गई है, जिसमें विफल रहने पर संबंधित एजेंसी से वसूली की जाएगी यदि ईओटी प्रदान नहीं की जाती है।
23. कोटेशनर्स को साइट की स्थिति की जानकारी रखने के लिए निविदा देने से पहले कार्य के निष्पादन के स्थल का निरीक्षण करना चाहिए। एजेंसी को साइट को खाली करने के लिए अपनी व्यवस्था करनी होगी और फिर सचिव/आरएससी और प्रभारी अभियंता द्वारा वांछित पुनर्व्यवस्थित करना होगा।
24. अनुसूची में मदों की मात्रा अस्थायी है जो साइट की स्थितियों के आधार पर बदल सकती है।
25. कार्य के दौरान कोई चोट/दुर्घटना होती है, डीडीए जिम्मेदार नहीं होगा; किसी भी दावे को पहले चरण में खारिज कर दिया जाएगा केवल एजेंसी जिम्मेदार होगी।
26. यदि दो या दो से अधिक एजेंसियां समान दर उद्धृत करती हैं तो उस एजेंसी को वरीयता दी जाएगी जो पहले से ही अपने संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन सेवा दे रही है। यदि फिर भी दो या दो से अधिक ऐसी एजेंसियों के बीच टाई है तो काम उस एजेंसी को दिया जाएगा जिसका पिछले तीन लगातार वित्तीय वर्षों में सबसे अधिक सकल वार्षिक कारोबार है।
27. यदि कार्य आदेश में उल्लिखित निर्धारित समय के भीतर पूरा कार्य नहीं किया जाता है, तो यह सचिव/आरएससी के विवेकाधिकार में होगा कि वह आइटम के काम को ऐसी शर्तों पर स्वीकार करे जो सचिव को उचित और उचित समझे या कार्य आदेश को रद्द करने के लिए / काम के बदले किसी भी भुगतान को रोकने के लिए / बयाना राशि को जब्त करने या संबंधित एजेंसी को डिबार्ग करने के लिए। इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और किसी भी फोरम के समक्ष प्रश्रुत नहीं किया जाएगा।
28. कार्य के निष्पादन के दौरान ठेकेदार की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। यदि स्थल/आसपास पर किसी प्रकार की हानि/चोरी/क्षति हुई है, तो उसे उद्धृत दरों में पूरा किया जाएगा या एजेंसी से वसूल किया जाएगा/एजेंसी के जोखिम और लागत पर पूरा किया जाएगा।
29. कि सभी उद्देश्यों और उद्देश्यों के लिए एजेंसी द्वारा प्रदान किए गए अकुशल श्रमिक और ऐसे ही कर्मचारी एजेंसी के कर्मचारी होंगे। एजेंसी ऐसे कर्मियों को सभी स्वीकार्य और/या अनुषंगी लाभ प्रदान करने के लिए उसी तरह जिम्मेदार होगी जैसे एजेंसी अपने अन्य कर्मचारियों को देती है। एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए कर्मियों के किसी भी दावे के भुगतान के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।
30. डीडीए के सदस्यों और प्रशासनिक कर्मचारियों की वास्तविक समय प्रतिक्रिया के आधार पर और जब सेवा में कोई कमी पाई जाती है तो उसे सुधार के लिए एजेंसी/ठेकेदार को सूचित किया जाएगा। यदि सूचना के समय से निर्धारित अवधि के भीतर कोई सुधार/सुधार नहीं होता है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित आनुपातिक कटौती एजेंसी/ठेकेदार से की जाएगी।

-एसडी-
आरई (सिविल) / आरएससी

सं. एसपी/आरएससी/0090/2021/एफ1/-आरएससी/361

दिनांक:-17/09/2021

कॉपी में:-

1. आयुक्त (खेल), डीडीए।
2. निदेशक (सिस्टम)/डीडीए ई-मेल के माध्यम से। ddatender@dda.org.in।
3. ए.ओ. (खेल), डीडीए।
4. डीडीए खेल परिसर के सभी सचिव।
5. डीडीए ठेकेदार संघ ई-18 विकास कुटीर, नई दिल्ली।
6. डीडीए ठेकेदार कल्याण संघ, कमरा नंबर 12, बैरक नंबर 1, ब्लॉक-ए, विकास कुटीर, नई दिल्ली।
7. दिल्ली ठेकेदार कल्याण संघ (सी), 306, मस्जिद मोठ, एनडीएसई, भाग- II, नई दिल्ली।
8. एएओ/आरएससी।
9. नोटिस बोर्ड।

-एसडी-
आरई (सिविल) / आरएससी